प्रेषक,

गिरीश चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : जुलाई, 2024**

विषयः 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2013 में संशोधन किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2013 में संशोधन किये जाने हेतु तैयार की गयी टिप्पणी पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का अभिमत उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उक्त टिप्पणी की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सुस्पष्ट अभिमत/आख्या शासन को **आज ही** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Girish Chandra Mishra
Date: 23-07-2024 12:32:07

(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।

विषय- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2013 में संशोधन के संबंध में।

नगर विकास विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियन्त्रणाधीन कार्यरत स्थानीय निकायों/संस्थाओं के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर कर आरोपण की व्यवस्था विभिन्न अधिनियमों यथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-172 (1) (ड़) व धारा-191, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128 की उपधारा-(1) (3-ख) व धारा-128-क, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-62, उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐक्ट, 1996 की धारा-34 तथा उत्तर प्रदेश अर्बन एवं प्लानिंग डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा-39(2) में की गयी है।

2- शासनादेश दिनांक 07-02-2008 को अतिक्रमित करते हुए मा० मंत्रि-परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासनादेश सं०-क०नि०-5-1149/11-2013–312(268)/2001 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 निर्गत किया गया, जिसमें 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई :-

(2) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का अनुमान वित्त विभाग को बजट प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसमें से 04 प्रतिशत अनुषांगिक व्यय एवं 04 प्रतिशत संग्रह व्यय अर्थात कुल 08 प्रतिशत की धनराशि काटकर शेष धनराशि को निम्नानुसार आवंटित किया जायेगा :-

(अ) 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड को स्थानान्तरित की जायेगी।

(ब) 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में एकत्र की गयी धनराशि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को तथा नगर विकास विभाग को निम्नानुसार देय होगी :—

निकाय/प्राधिकरण/परिषद की प्रास्थिति (ऐसे क्षेत्र जहाँ निम्न विद्यमान हो)	डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (प्रतिशत)	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण (प्रतिशत)	आवास एवं विकास परिषद् (प्रतिशत)	नगर निकाय (प्रतिशत)
विकास परिषद, आवास विकास, नगर निकाय	0.5	0.50	0.25	0.75
विकास प्राधिकरण+नगर निकाय	0.5	0.75	—	0.75
आवास विकास परिषद्+ नगर निकाय	0.5	—	0.75	0.75
विकास प्राधिकरण+आवास विकास परिषद्	0.5	0.75	0.75	—
विकास प्राधिकरण	0.5	1.5	—	—
आवास विकास परिषद्	0.5	—	1.5	—
नगर निकाय	0.5	—	—	1.5

(स) वित्त विभाग द्वारा डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड हेतु बजट व्यवस्था नगर विकास विभाग के अनुदान में अलग से प्रदर्शित करते हुए कराई जायेगी तथा नगर विकास विभाग को देय धनराशि अलग से प्रदर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट व्यवस्था नगर विकास विभाग के अनुदान में कराई जायेंगी। इसी प्रकार आवास विभाग को देय धनराशि की व्यवस्था आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुदान में कराई जायेगी ।

(द) उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से आवश्यक विवरण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से प्राप्त करके सम्बन्धित संस्थाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

3- प्रकरण में उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 13-09-2013 को निर्गत किया गया। चूँकि सम्पूर्ण धनराशि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के आय-व्ययक अनुदान सं०-091 राजस्व लेखा-2030, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 800-अन्य व्यय में प्राविधानित है। अत: शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में संग्रहीत 02 प्रतिशत धनराशि का आवंटन सम्बन्धित संस्थाओं को किया जाना है, जिससे विकास कार्य अवरूद्ध न हो।

4- अत: विकास कार्यों की निरन्तरता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-क०नि०-5-1149/11-2013-312 (268)/2001 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के प्रस्तर-2(स) में निम्न संशोधन प्रस्तावित है :-

वित्त विभाग द्वारा नगर निकायों, डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड तथा विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास परिषद् को अन्तरण हेतु बजट व्यवस्था स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अनुदान से कराई जायेगी।

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर बजट प्राप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित संस्थाओं को भुगतान 04 किश्तों में त्रैमासिक व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने के साथ सुनिश्चित किया जायेगा :-

उत्तर प्रदेश सरकार

2024-2025 के व्यय

के

ब्यौरेवार अनुमान

स्टाम्प एवं निबन्धन

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

फरवरी, 2024

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में प्रदर्शित अनुदानों के नियंत्रक अधिकारी और विभागाध्यक्षों की सूची

अनुदान संख्या तथा उसका नाम	लेखा शीर्ष	नियंत्रक अधिकारी का पदनाम	विभागाध्यक्ष का पदनाम
1	2	3	4

अनुदान संख्या – 91 – स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

प्रभारी मंत्री – मुख्य मंत्री

2030 स्टाम्प पंजीकरण	सचिव, स्टाम्प एवं निबंधन, उ.प्र.शासन	महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं निबन्धन,
2059 लोक निर्माण कार्य	महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं निबन्धन,	उ.प्र.प्रयागराज
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	उ.प्र.प्रयागराज	
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		

अनुदान संख्या 091

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

1. उस धनराशि का अनुमान जिसकी वित्तीय वर्ष **2024-2025** में व्यय के लिये आवश्यकता है --

		राजस्व		पूंजी		योग
मतदेय	₹	35922069000	₹	810000000	₹	36732069000
भारित	₹	1000	₹	--	₹	1000

2. अनुदान का मुख्य लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन --

(₹लाख में)

		वास्तविक आँकड़े 2022-2023	आय-व्ययक अनुमान 2023-2024	पुनरीक्षित अनुमान 2023-2024	आय-व्ययक अनुमान 2024-2025
राजस्व लेखा --					
2030 - स्टाम्प पंजीकरण	मतदेय	32655.31	53673.63	48137.96	358420.69
	भारित	--	0.02	0.02	0.01
2059 - लोक निर्माण कार्य	मतदेय	189.15	800.00	800.00	800.00
योग : राजस्व लेखा --	मतदेय	32844.46	54473.63	48937.96	359220.69
	भारित	--	0.02	0.02	0.01
पूंजी लेखा --					
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	मतदेय	83.92	7000.00	6300.00	8000.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	मतदेय	--	100.00	100.00	100.00
योग : पूंजी लेखा --	मतदेय	83.92	7100.00	6400.00	8100.00
कुल योग	मतदेय	32928.38	61573.63	55337.96	367320.69
	भारित	--	0.02	0.02	0.01

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

(₹ लाख में)

3. विनियोग लेखे के लिये मुख्य, लघु तथा उप लेखा शीर्ष :--

5-9 वास्तविक आँकडे 2022-2023	आय-व्ययक अनुमान 2023-2024	पुनरीक्षित अनुमान 2023-2024	लेखा शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2024-2025
			राजस्व लेखा --	
			2030- स्टाम्प पंजीकरण	
			01- स्टाम्प न्यायिक	
1.02	78.23	60.98 मतदेय	001- निदेशन तथा प्रशासन	82.98
371.78	770.00	654.50 मतदेय	101- स्टाम्पों की लागत	770.00
121.83	1000.00	850.00 मतदेय	102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	1000.00
494.63	1848.23	1565.48 मतदेय	योग : 01	1852.98
			02- स्टाम्प-न्यायिकेतर	
42.75	145.57	116.82 मतदेय	001- निदेशन तथा प्रशासन	166.08
9866.53	11000.00	9350.00 मतदेय	101- स्टाम्पों की लागत	11000.00
7235.93	9000.00	10625.00 मतदेय	102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	9500.00
70.67	205.00	174.25 मतदेय	800- अन्य व्यय	205.00
17215.88	20350.57	20266.07 मतदेय	योग : 02	20871.08
			03- पंजीकरण	
14944.80	31474.83	26306.41 मतदेय	001- निदेशन तथा प्रशासन	33333.01
--	0.02	0.02 भारित		0.01
--	--	-- मतदेय	800- अन्य व्यय	302363.62
14944.80	31474.83	26306.41 मतदेय	योग : 03	335696.63
--	0.02	0.02 भारित		0.01
32655.31	53673.63	48137.96 मतदेय	योग : 2030	358420.69
--	0.02	0.02 भारित		0.01
			2059- लोक निर्माण कार्य	
			01- कार्यालय भवन	
189.15	800.00	800.00 मतदेय	051- निर्माण	800.00
189.15	800.00	800.00 मतदेय	योग : 2059	800.00
32844.46	54473.63	48937.96 मतदेय	योग : राजस्व लेखा --	359220.69
--	0.02	0.02 भारित		0.01

पूंजी लेखा --

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

(₹ लाख में)

3. विनियोग लेखे के लिये मुख्य, लघु तथा उप लेखा शीर्ष :--

5-9 वास्तविक आँकड़े 2022-2023	आय-व्ययक अनुमान 2023-2024	पुनरीक्षित अनुमान 2023-2024		लेखा शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2024-2025
				4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
				01- कार्यालय भवन	
83.92	7000.00	6300.00	मतदेय	800- अन्य व्यय	8000.00
83.92	7000.00	6300.00	मतदेय	योग : 4059	8000.00
				4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
--	100.00	100.00	मतदेय	800- अन्य व्यय	100.00
--	100.00	100.00	मतदेय	योग : 4070	100.00
83.92	7100.00	6400.00	मतदेय	योग : पूंजी लेखा --	8100.00
32928.38	61573.63	55337.96	मतदेय	कुल योग	367320.69
--	0.02	0.02	भारित		0.01

वास्तविक आँकडे 2022-2023	आय-व्ययक अनुमान 2023-2024	पुनरीक्षित अनुमान 2023-2024	लेखा शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2024-2025
			राजस्व लेखा --	
			2030 - स्टाम्प पंजीकरण	
			01 - स्टाम्प न्यायिक	
			001 - निदेशन तथा प्रशासन	
			03- अधिष्ठान	
--	47.59	35.69	01 - वेतन	47.59
--	21.42	16.07	03 - मंहगाई भत्ता	26.17
--	0.60	0.60	04 - यात्रा व्यय	0.60
--	0.50	0.50	05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
--	0.50	0.50	06 - अन्य भत्ते	0.50
--	0.01	0.01	07 - मानदेय	0.01
--	1.00	1.00	08 - कार्यालय व्यय	1.00
0.07	0.50	0.50	11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
--	0.50	0.50	12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50
0.95	1.20	1.20	16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.20
--	0.05	0.05	44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05
--	0.20	0.20	45 - अवकाश यात्रा व्यय	0.20
--	1.50	1.50	49 - चिकित्सा व्यय	1.50
--	0.01	0.01	51 - वर्दी व्यय	0.01
--	1.65	1.65	55 - मकान किराया भत्ता	1.65
--	1.00	1.00	58 - आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	1.00
1.02	78.23	60.98	योग : 03	82.98
1.02	78.23	60.98	योग : 001	82.98
			101 - स्टाम्पों की लागत	
			03- न्यायिक स्टाप	
371.78	770.00	654.50	42 - अन्य व्यय	770.00
371.78	770.00	654.50	योग : 101	770.00
			102 - स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	
			03- न्यायिक स्टाम्प	
121.83	1000.00	850.00	42 - अन्य व्यय	1000.00
121.83	1000.00	850.00	योग : 102	1000.00
494.63	1848.23	1565.48	योग : 01	1852.98

778 (copy)/94-1-2024

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संख्या : 761 /नौ–104 (बजट)/2024 दिनांक 31-05-2024

1102/PS(S&R)/24
VS(स्टाम्प)

विषयः– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अंतर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अंतरण पर विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान, स्टाम्प एवं निबंधन में निबंधन विभाग हेतु लेखाशीर्षक सं0 2030038000300 राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों का डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड तथा विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को अंतरण हेतु मानक मद सं0–42 अन्य व्यय में धनराशि रू0 30,23,63,62,000/– (तीस अरब तेइस करोड़ तिरसठ लाख बासठ हजार मात्र) प्राविधानित की गई है।

11/06/2024
(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव
आयुष तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

1050/VSR/2024
U.S

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कर एवं निबंधन अनुभाग–5 के शासनादेश सं0–क0नि0–5–1149 /11–2013–312(268)/2001 दिनांक 13 सितम्बर 2013(छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर–2 द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार :–

"वित्त विभाग द्वारा डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड हेतु बजट व्यवस्था नगर विकास विभाग के अनुदान में अलग से प्रदर्शित करते हुए, करायी जायेगी तथा नगर विकास विभाग को देय धनराशि अलग से प्रदर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट व्यवस्था नगर विकास विभाग के अनुदान में करायी जायेगी। इसी प्रकार आवास विभाग को देय धनराशि की व्यवस्था आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुदान में करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार की गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से आवश्यक विवरण स्टाम्प एवं निबंधन विभाग से प्राप्त करके सम्बन्धित संस्थाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।"

12-06-2024
(सतीश गुप्ता)
विशेष सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री प्रवेश
12-6-24

वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु उपरोक्त धनराशि स्टाम्प एवं निबंधन विभाग हेतु प्राविधानित किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में लेखाशीर्षक सं0 2030038000300 राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों का डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड तथा विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को अंतरण हेतु मानक मद 42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 30,23,63,62,000/– (तीस अरब तेइस

Jitender 2024-25

करोड़ तिरसठ लाख बासठ हजार मात्र) को संबंधित विभागो को वितरित किये जाने की प्रकिया निर्धारण करने का कष्ट करें ताकि प्राविधानित धनराशि के आवंटन के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ रूपेश कुमार)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Jitender 2024-25

संख्या–क0नि0-5-1149/11-2013-312(268)/2001

प्रेषक,

बी0एम0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर सचिव
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

20 SEP 2013 इलाहाबाद

कर एवं निबन्धन, अनुभाग–5 लखनऊ :दिनाँक 13 सितम्बर, 2013

विषय– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रकिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–क0नि0–5–391/11–2008–312(268)/2001 दिनांक 07 फरवरी, 2008 द्वारा अचल सम्पत्तियों के अन्तरण/विलेखों में अंकित प्रतिफल/बाजार मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की धनराशि के अलावा वसूली गयी 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की निर्धारित प्रकिया को अतिकमित करते हुए निम्न् नवीन प्रकिया निर्धारित की जाती है:–

(1) नगर विकास विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियन्त्रणाधीन कार्यरत स्थानीय निकायों/संस्थाओं के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर कर आरोपण की व्यवस्था विभिन्न अधिनियमों यथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–172 (1) (ड़) व धारा–191, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128 की उपधारा (1) (3–ख) व धारा–128–क, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा–62, उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथारिटी ऐक्ट 1996 की धारा–34 तथा उत्तर प्रदेश अर्बन एवं प्लानिंग डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा–39 (2) के अन्तर्गत 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि शासकीय कोष में जमा

होती है तथा इसका आहरण कर स्थानीय निकायों आदि को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

अतः शासन के अन्य विभागों की भाँति ही स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का लक्ष्य गत वर्ष की सकल प्राप्तियों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा भी सकल प्राप्ति पर ही की जायेगी।

(2) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का अनुमान वित्त विभाग को बजट प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसमें से 04 प्रतिशत आनुषांगिक व्यय एवं 04 प्रतिशत संग्रह व्यय अर्थात कुल 08 प्रतिशत की धनराशि काटकर शेष धनराशि को निम्नानुसार आवंटित किया जायेगाः–

(अ) 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड को स्थानान्तरित की जायेगी।

(ब) 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में एकत्र की गई धनराशि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को तथा नगर विकास विभाग को निम्नानुसार देय होगीः–

निकाय / प्राधिकरण / परिषद की प्रास्थिति (ऐसे क्षेत्र जहाँ निम्न विद्यमान हों)	डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (प्रतिशत)	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विकास प्राधिकरण (प्रतिशत)	आवास एवं विकास परिषद (प्रतिशत)	नगर निकाय (प्रतिशत)
विकास परिषद, आवास विकास, नगर निकाय	0.5	0.50	0.25	0.75
विकास प्राधिकरण + नगर निकाय	0.5	0.75	–	0.75
आवास विकास परिषद + नगर निकाय	0.5	–	0.75	0.75
विकास प्राधिकरण + आवास विकास परिषद	0.5	0.75	0.75	–
विकास प्राधिकरण	0.5	1.5	–	–
आवास विकास परिषद	0.5	–	1.5	–
नगर निकाय	0.5	–	–	1.5

(स) वित्त विभाग द्वारा डेडीकेटेड अरबन ट्रान्सपोर्ट फण्ड हेतु बजट व्यवस्था नगर विकास विभाग के अनुदान में अलग से प्रदर्शित करते हुए,

कराई जायेगी तथा नगर विकास विभाग को देय धनराशि अलग से प्रदर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट व्यवस्था नगर विकास विभाग के अनुदान में कराई जायेगी। इसी प्रकार आवास विभाग को देय धनराशि की व्यवस्था आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुदान में कराई जायेगी।

(द) उपरोक्तानुसार की गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से आवश्यक विवरण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से प्राप्त करके सम्बन्धित संस्थाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

भवदीय,

बी0एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति संबंधित समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- आयुक्त, स्टाम्प, उ0प्र0, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

(जी0 सी0 कठेरिया)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन सं0 - 10454-557/स्टाम्प-561एच/2006-07, दिनांक 07.10.2013.

समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0

कृपया उपर्युक्त शासनादेश में की गई नवीन व्यवस्था के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(पी0के0 पाण्डेय)
अपर आयुक्त स्टाम्प(प्र0)